

3/बो0-26/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या 12019-20)

पेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:-

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशन योजनाओं के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 49500.00/- लाख (चार सौ पंचानवे करोड़), राज्यांश राशि रु. 12243.00/- लाख (एक सौ बाइस करोड़ तैतालीस लाख) एवं राज्य स्कीम में रु. 30492.00/- लाख (तीन सौ चार करोड़ बानवे लाख) यानी कुल रु. 92235.00/- लाख (रु. नौ सौ बाइस करोड़ पैतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के आपांक सं- 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, वृद्ध अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 49500.00/- लाख (चार सौ पंचानवे करोड़), राज्यांश राशि रु. 12243.00/- लाख (एक सौ बाइस करोड़ तैतालीस लाख) एवं राज्य स्कीम में रु. 30492.00/- लाख (तीन सौ चार करोड़ बानवे लाख) यानी कुल रु. 92235.00/- लाख (रु. नौ सौ बाइस करोड़ पैतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

क्र0	योजना का नाम	विषय कोड	PFMS Code	विषय शीर्ष	(राशि रु. लाख में)	
					योजना अन्तर्गत	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि				6585.00	21732.15
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010201)	3163	0201.31.06 0201.13.01	200.00	660.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890201)	3163	0201.31.06 0201.13.01	4502.00	11880.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960203)	3163	0203.31.06	514.00	1697.85
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010203)	3167	01.03.31.06 01.03.13.01	1700.00	5610.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890202)	3167	0202.31.06 0202.13.01	100.00	258.72
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्कता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010202)	3169	0202.31.06 0202.13.01	716.00	236.28
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्कता पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890203)	3169	0203.31.06	3900.00	1287.00
	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	(51-2235031020203)	3166	0203.31.06 0203.13.01	100.00	33.00
					1000.00	330.00
					7300.00	2409.00
					200.00	66.00
						49500.00

योग:- 1 (रु0 चार सौ पंचानवे करोड़)

-2-

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का राज्य अंशदान

5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010301)	3163	0301.31.06	25400.00	8382.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890301)	3163	0301.31.06	6500.00	2145.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960303)	3163	0303.31.06	500.00	165.00
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010303)	3167	0303.31.06	3300.00	1089.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890302)	3167	0302.31.06	700.00	231.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्कता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010302)	3169	0302.31.06	600.00	198.00
7	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्कता पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890303)	3169	0303.31.06	100.00	33.00
योग:- 2 (रु० एक सौ बाइस करोड़ तैंतालीस लाख)						12243.00

राज्य स्कीम

8	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010101)		0101.31.06	30500.00	10065.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातिय उप योजना	(51-2235037890101)		0101.31.06	7600.00	2508.00
9	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010103)		0103.31.06	1500.00	495.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - जनजातिय उप योजना	(51-2235037890102)		0102.31.06	500.00	165.00
10	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्कता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010102)		0102.31.06	300.00	99.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्कता पेंशन योजना - जनजातिय उप योजना	(51-2235037890103)		0103.31.06	100.00	33.00
11	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020105)		0105.31.06	15000.00	4950.00
	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890102)		0102.31.06	3500.00	1155.00
12	बिहार निःशक्कता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020104)		0104.31.06	20000.00	6600.00
	बिहार निःशक्कता पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890103)		0103.31.06	5000.00	1650.00
13	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना - सामान्य घटक	(51-2235022000103)		0103.31.06	3400.00	1122.00
	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना - विशेष घटक	(51-2235027890104)		0104.31.06	1600.00	528.00
14	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	(51-2235022000105)		0105.31.06	500.00	165.00
15	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	(51-2235021040106)		0106.31.06	1800.00	594.00
16	बिहार शताब्दी एड्स पीडित कल्याण योजना	(51-2210061010113)		0113.31.06	1000.00	330.00
17	मुख्यमंत्री निःशक्कतजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	(51-2235021010121)		0121.31.06	100.00	33.00
योग:- 3 (रु० तीन सौ चार करोड़ बेरानवे लाख)						30492.00
कुल (योग 1+2+3) :- (रु० नौ सौ बाईस करोड़ पैंतीस लाख)						92235.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि० दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि० दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि० दिनांक 28.03.18, 256/वि० दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-26/2017(खड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 17/टि० पर दिनांक 03.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 3/यो० 26/2017(खड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 17/टि० पर दिनांक 04.04.2019 को माननीय भत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक-3/यो०-26/2017(खड)

दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षण) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक आइ०सी०डी०ए०स० निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेटी रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० -

संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो०-26/2017(खड) 18

दिनांक- ८ ३ - ०५ - २०१३

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ कोषागार पदाधिकारी, सचिव प्रय कोषागार, सिंचाई भवन/कोषागार पदाधिकारी, विशाखरैया भवन पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)